

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक भ-51/सीएफओ/जीबीएन-11(1)/638

दिनांक: मई

27

2011

सेवा में,

महाप्रबन्धक (वास्तु एवं नियोजन)

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण,

जनपद-गौतमबुद्धनगर।

विषय:

मैसर्स अजय इण्टरप्राइजेज (पी०) लि०, प्लॉट न०-जी०एच-०१, सेक्टर-०२, ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर के भूखण्ड पर प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन निर्माण हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा प्रश्नगत प्रस्तावित स्थल पर ग्रुप हाऊसिंग भवन के निर्माण हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध अधोहस्ताक्षरी से किया गया है।

प्रस्तावित स्थल के मानचित्रों का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नोएडा से कराया गया तो भवन का विवरण निम्नवत है:-

- 1-प्रस्तावित भवन का अधिभोग रेजिडेन्सियल श्रेणी के अन्तर्गत है।
 - 2-प्रस्तावित भूखण्ड के सामने रोड की चौड़ाई 60 मी० मानको के अनुसार पर्याप्त है जिस पर फायर सर्विस वाहन आसानी से आ जा सकते हैं।
 - 3-प्रस्तावित भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल-98,373.00 वर्ग मी०, जिसमें भूतल पर 21,804.245 वर्ग मी० पर भू आच्छादन किया जाना है।
Total Area *Ground Coverage*
 - 4-प्रस्तावित भूखण्ड में ब्लॉक ए०, बी०, जी०, एच०, एन०, एवं वाई प्रकार के कुल 38 का निर्माण भूतल से 13 वें, 14 वें, 15 वें, 17 वें, एवं 19 वें, तल के ग्रुप हाऊसिंग हाई राईज अपार्टमेंट का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।
 - 5-प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर में दो जीने एवं दो लिफ्ट का प्राविधान है जो बाह्य होने के कारण चौड़ाई-1.25 मी० प्रस्तावित की गई है आन्तरिक होने पर जीने की चौड़ाई 1.5 मी० होगी जिसको निर्माण के दौरान किसी भी दशा में मानको से कम न किया गया जायें।
 - 6-न्यूनतम सेंटबेक अग्रभाग 25 मी० एवं शेष तीनों तरफ 09-09 मी० छोड़े जाने प्रस्तावित है इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा भूखण्ड के आवंटन के सम्बन्ध में अभिलेख प्रस्तुत किये गये जिसका दिनांक 04-05-10 का आवंटन हुआ है जिसमें नोएडा विनियमावली-2010 के पूर्ववर्ती सेंटबेक अनुमत्य है अन्तिम निर्णय ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा लिया जाना सुसंगत होगा।
 - 7-भवन में बेसमेंट प्रस्तावित है जिसका कुल कवर्ड एरिया 80,885.019 वर्ग मी० है।
 - 8-प्रस्तावित भूखण्ड में कम्युनिटी भूतल कवर्ड एरिया-1200 वर्ग मी०, प्रथम तल एरिया-600.00 वर्ग मी०।
 - 9-कामर्सियल भूतल कवर्ड एरिया-1200.00 वर्ग मी० प्रथम एवं द्वितीय तल एरिया क्रमशः 750, 750 वर्ग मी० है।
 - 10-प्रस्तावित भूखण्ड में डिस्पेंसरी एवं नर्सरी स्कूल प्रस्तावित है जिनका भूतल कवर्ड एरिया 10,10.82 वर्ग मी० अंकित किया गया है।
- प्रस्तावित भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया- 2005 की टेबिल-23 के अनुसार निम्न अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराई जानी अनिवार्य होगी :-

ए0- फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190 के अनुसार।

बी- होजरील एवं लैण्डिंग वाट्व आई0एस0-3884:1989 के अनुसार।

सी- यार्ड हाईड्रेंटस वेटराइजर आई0एस0-13039:1991 के अनुसार।

डी- मैन्युअल आपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम, ऑटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम आई0एस0- 2189:1999 के अनुसार।

ई- 45 मी0 से ऊँचे समस्त टावर भवनों के सम्पूर्ण तलो एवं बेसमेन्ट एरिया में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम आई0एस0-15105: 2002 के अनुसार।

एफ-भवन में अग्निशमन कार्य हेतु अण्डर ग्राउण्ड वाटर टैंक 2,00,000 दो लाख ली0, क्षमता का स्थापित कराया जाये।

जी0-अण्डर ग्राउण्ड टैंक के पास 02 अदद में पम्प 2280 एल0पी0एम0 क्षमता, 01 अदद डीजल चालित पम्प 2280 एल0पी0एम0 क्षमता, 01 अदद जौकी पम्प 180 एल0पी0एम0, क्षमता के स्थापित कराये जाये।

एच0-प्रत्येक टावर की टेरिस पर टेरिस टैंक, ऊँचाई के अनुसार 10,000 एवं 25,000 ली0 क्षमता के स्थापित कराये जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के दौरान निम्न प्रतिबन्धों/मानकों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा:-

1- भवन के चारों ओर प्राविद्यानित सेटबैक में किसी प्रकार का अस्थाई/स्थाई निर्माण न कराया जायें।

2- भवन में प्रदीप्त संकेत चिन्ह का प्राविधान नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के अनुसार कराया जायें।

3- भवन में विद्युत सुरक्षा व्यवस्था नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के पार्ट-4 के अनुसार कराया जायें।

4- वैकल्पिक विद्युत स्रोत से कोरिडोर, स्टेयर लाइट एवं फायर पम्प सम्बद्ध किये जाए।

5- पिट कवर का निर्माण अग्निशमन वाहन के भार को ध्यान में रखकर किया जायें।

6- भवन में प्रवेश द्वार का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के अनुसार कराया जायें।

7- भवन के बेसमेन्ट में मेकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम एन0बी0सी0-2005 के अनुसार कराया जाना अनिवार्य होगा तथा बेसमेन्ट में कम्पार्टमेंटेशन सम्बन्धित मानकों के अनुसार किया जाये।

8- रिफ्यूज एरिया के प्राविधान एन0बी0सी0-2005 के अनुसार के पार्ट-4 के क्लोज-4.12.1 से 12.3 तक दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये।

9- भवन में ट्रांसफार्मर की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2005 के पार्ट-4 के क्लोज-सी 1.16 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये।

10-भवन की विद्युत सुरक्षा व्यवस्था के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2005 के पार्ट-4 के क्लोज-1.12ए से एच तक दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये।

11- भवन निर्माण में एन0बी0सी0 के क्लोज 6.1" रिव्वामेन्ट ऑफ रेजिडेन्सियल बिल्डिंग ग्रुप-ए0" के प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

12-प्रत्येक ब्लाकों के मध्य इण्टर डिस्टेन्स मानकों के अनुसार रखी जाये।

13-प्रत्येक टावर में एक लिफ्ट को फायर लिफ्ट के रूप में चिह्नित किया जाये।

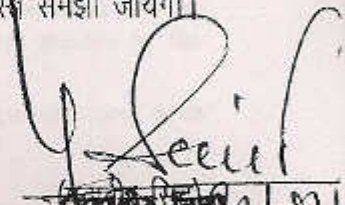
14-प्रस्तावित भवन के निर्माण हेतु फायर की ड्राईंग अलग से अनुमोदित कराई जाये।

15-प्रस्तावित भवन के 60 मी0 से ऊँचे टावरों में हैलीपेड का प्राविधान किया जाये।

16-भवन में स्थापित करायी जानी वाली सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली व्यवसायिक रूप से प्रशिक्षित एवं दक्ष व्यक्ति की देखरेख में कराई जाये तथा स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन के लिए व्यवसायिक रूप से दक्ष अग्निशमन अधिकारी व स्टाफ के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ-2005 पार्ट-4 के क्लोज सी-6 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये।

20/11

अतः उक्त के आधार पर मैसर्स अजय इण्टरप्राइजेज (पी०) लि०, प्लॉट न०-जी०एच-०१, सेक्टर-०२, ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर के प्रस्तावित गुप हाउसिंग भवन के निर्माण हेतु अस्थाई अग्निशमन अनापत्ति आख्या इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-२००८, तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-२००५ एवं तत्समय पृवत्त किसी अन्य विधि में उल्लेखित मानकों के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत की जा रही भवन निर्माण हेतु आख्या स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।


मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

प्रतिलिपि: 1- अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2- मैसर्स अजय इण्टरप्राइजेज (पी०) लि०, प्लॉट न०-जी०एच-०१, सेक्टर-०२, ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ।